समाचार–पकाशनार्थ :–

''आपकी सरकार–आपके साथ'' अभियान में पात्र हितग्राहियों को हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ दिलायें–श्री झारिया अभियान के तहत वार्ड वार शिविरों का आयोजन

रतलाम 16 दिसम्बर । हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को शत प्रतिशत दिलाये जाने हेतु शासन द्वारा चलाये जा रहे ''आपकी सरकार–आपके साथ'' अभियान के तहत 15 से 30 दिसम्बर तक लगाये जा रह वार्ड वार जन समस्या निवारण शिविर के संबंध में निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नियुक्त निगम के अधिकारी एवं कर्मचारियों की बैठक लेकर अभियान के तहत पात्र हितग्राहियों को हितग्राही मूलक योजनाओं का शत–प्रतिशत लाभ दिलाये जाने के निर्देश दिये।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने आयोजित बैठक में निर्देशित किया कि वार्ड वार आयोजित किये जाने वाले शिविर में वार्ड के रहवासियों की समस्याऐं, मूलभुत सुविधाएं, जन कल्याणकारी योजनाओं का पात्र एवं वंचित हितग्राहियों का लाभ दिलाया जाना है साथ ही शिकायतों का भी निराकरण किया जाना है इस हेतु नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी संवदनशीलता के साथ कार्य करें साथ ही इस बात विशेष ध्यान रखें शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति को मिले ना कि अपात्र को।

उन्होने निर्देशित किया कि आयोजित शिविरों में पात्र वंचित व नवीन हितग्राहियों से आवेदन प्राप्त करें व प्राप्त आवेदनों का तत्काल निराकरण कर शिविर में ही योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित् करें।

''आपकी सरकार–आपके साथ'' अभियान के तहत अम्बेडकर कम्युनिटी हॉल गांधी नगर, रामकला सभागृह लक्ष्मणपुरा, राठौड़ धर्मशाला, महर्षी दयानन्द वैदिक विद्यालय, गुरू रामदास स्कूल विनोबा नगर, मार्निंग स्टार स्कूल इंदिरा नगर, कम्युनिटी हॉल अलकापुरी, संत नामदेव पब्लिक स्कूल विनोबा नगर, सांई एकेडमी स्कूल 80 फीट रोड रत्नपुरी, सिंधी गुरूद्वारा मोहन नगर, बोधी स्कूल डोंगरे नगर, सुमंगल गार्डन कस्तुरबा नगर, अम्बेडकर कम्युनिटी हॉल जवाहर नगर, सरस्वती स्कूल काटजू नगर, मांगलिक भवन सुभाष नगर, काश्यप सभागृह सागोद रोड, उत्कृष्ट स्कूल सागोद रोड, शांति निकेतन टाटा नगर, राधाकृष्ण प्राथमिक विद्यालय दीनदयाल नगर, सरस्वती स्कूल अमृत सागर, नरसिंह वाटिका सिलावटों का वास, मानस भवन मोती नगर, ज्योति कानवेंट स्कूल बालाजी नगर, सब्जी फरोस जमातखाना सायर चबुतरा, सगरवंशो माली समाज धर्मशाला, संतमीरा स्कूल थावरिया बाजार, जमातखाना शैरानीपुरा, मांगलिक भवन दिलीप नगर, डीआरपी लाईन आनन्द कालोनी, काजीखान की मस्जिद जावरा रोड, शासकीय प्राथमिक स्कूल डासीगांव, उजाला पैलेस स्टेशन रोड, लायन्स हॉल पावर हाउस रोड, रोटरी हॉल अजन्ता टॉकिज रोड, मेहन्दीकुई बालाजी नगर निगम, कानवेंट स्कूल मित्र निवास रोड, लॉ कॉलेज आनन्द कालोनी, जमातखाना शैरानीपुरा, शासकीय प्राथमिक स्कूल हाथीखाना, श्रीमाली धर्मशाला, मोहन टॉकिज, माहेश्वरी धर्मशाला कसारा बाजार, गणेश मांगलिक भवन रामगढ़, बोहरा कम्युनिटी हॉल बोहरा बाखल, शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल माणक चौक, आईएमए हॉल राजेन्द्र नगर, मदरसा तालीमुल कुरूआन नयापुरा हाट रोड, सूरज हॉल वेदव्यास कॉलोनी व सिखवाल समाज धर्मशाला ब्राम्हणों का वास में शिविर आयोजित किये गये है।

वार्ड क्रमांक 1 से 25 तक के लिये नगर निगम से श्री एम.के. जन प्रभारो सहायक यंत्री, खाद्य विभाग से सुश्रो रश्मि खम्बेटे कनिष्ट आपूर्ति अधिकारी, श्रम विभाग से श्रीमती नलिनी कटारा श्रम निरीक्षक व महिला एवं बाल विकास विभाग से श्रीमती चेतना गेहलोत तथा वार्ड क्रमांक 26 से 49 तक के लिये नगर निगम से श्री ए.पी. सिंह सहायक स्वास्थ्य अधिकारी, खाद्य विभाग से श्री उमेश कुमार पाण्डे कनिष्ट आपूर्ति अधिकारी, श्रम विभाग से सुश्री निशा गणावा श्रम निरीक्षक व महिला एवं बाल विकास विभाग से श्रीमती नीलम वाघेला

को नियुक्त किया गया है। उक्त अभियान का नोडल अधिकारी श्री जी.के. जायसवाल प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी को नियुक्त किया गया है।

नगर निगम द्वारा पात्र वंचित व नवीन हितग्राहियों से अपील की जाती है कि वे वार्ड वार आयोजित शिविरों में उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत कर शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेवें।

आयोजित बैठक में उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री जी.के. जायसवाल, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह सहित नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

सड़क डामरीकरण, सीमेन्टीकरण व अन्य विकास के कार्य ठेकेदार शीघ्र प्रारंभ करें
निगम आयुक्त श्री झारिया ने बैठक में ठेकेदारों को दिये निर्देश

रतलाम 16 दिसम्बर । नगर के विभिन्न क्षेत्रों में सड़क डामरीकरण, सीमेन्टीकरण, ड्रेन, क्रॉस ड्रेन, नाली व पुलिया निर्माण कार्यो की प्रगति की समीक्षा निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कर कार्य तेजी से करने के निर्देश ठेकेदारों को दिये।

नगर के विभिन्न क्षेत्रों में सड़क डामरीकरण, सीमेन्टीकरण, ड्रेन, क्रॉस ड्रेन, नाली व पुलिया निर्माण हेतु निगम द्वारा जारी की गई निविदा के माध्यम से प्राप्त निविदाओं की निगम आयुक्त श्री झारिया ने समीक्षा करने पर बताया कि 1 निविदा का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, 2 निविदा के कार्य प्रगति पर है, 3 निविदा के अनुबंध हेतु सूचना पत्र जारी किये जा चुके है व 9 निविदाओं के कार्यादेश जारी किये जा चुके है।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने ठेकेदारों को निर्देशित किया जिन कार्यो के कार्यादेश जारी किये जा चुके है वे कार्य शीघ्र प्रारंभ किये जाये तथा डामरीकरण का कार्य 28 दिसम्बर से अनिवार्य रूप से प्रारंभ किया जाये।

आयोजित बैठक में उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, प्रभारी सहायक यंत्री श्री एम.के. जैन, उपयंत्री सर्वश्री राजेन्द्र मिश्रा, राजेश पाटीदार, मनीष तिवारी, ब्रजेश कुशवाह, श्रीमतो अनिता ठाकुर, सुश्री दीक्षा निजामपुरकर सहित ठेकेदार उपस्थित थे।

स्वच्छ सर्वेक्षण–2022 की तैयारी प्रारंभ
घर–घर से सेग्रीगेटेट कचरा लिया जायेगा
दलेल लगाकर होगा सफाई का कार्य
निगम आयुक्त श्री झारिया ने आईईसी टीम सदस्यों व वार्ड दरोगाओं की ली बैठक

रतलाम 16 दिसम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 तैयारी प्रारंभ किये जाने हेतु आईईसी टीम के सदस्यों व वार्ड प्रभारियों की बैठक लेकर कचरा पृथक्कीकरण, संग्रहण व दलेल लगाकर सफाई का कार्य प्रारंभ करने के निदेश दिये।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने आयोजित बैठक में कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की परीक्षा की तैयारी हमें अभी से प्रारंभ करना होगी तभी हम रतलाम नगर को स्वच्छ व सुन्दर बनाकर उच्चतम् रैंकिग दिला पायेंगे।

उन्होने निर्देशित किया कि अभी से घर–घर से कचरा पृथक्कीकरण कर लिया जाये साथ ही ऐसे स्थान जहां कचरा व गंदगी दिखाई देती है उसकी 1 दरोगा व 15 कर्मचारियों की दलेल लगाकर सफाई करवाई जाकर यथा समय कचरा उठवाया जाये। दलेल से सफाई कार्य हेतु 4 हाथ कचरा गाड़ी सहित आवश्यक संसाधन तथा सुरक्षा उपकरणों के साथ की

जाये कोई भी कर्मचारी बिना सुरक्षा उपकरणों के बिना कार्य नहीं करेगा। निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक नगर निगम द्वारा नियुक्त आईईसी टीम के साथ टीम भावना के साथ कार्य करेंगे।

खुले में गंदगी करने पर 15 व्यक्तियों पर जुर्माना मास्क नहीं लगाने पर 34 व्यक्तियों पर जुर्माना नागरिक अनिवार्य रूप से मास्क लगायें

गंदगी करने वालो की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 16 दिसम्बर । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते ह, मलबा डालकर अतिक्रमण करते है उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 16 दिसम्बर को 15 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार खुले में गंदगी करने पर कैलाश चौहान, मूलचन्द, स्वपनिल, रजनीश, प्रदीप पाठक लौहार रोड, पवन मौर्य, अज्जू, लक्की, जीतू बरबड़ रोड पर 100–100, संजय, बाबूलाल लौहार रोड, बंशीलाल बरबड़ रोड, प्रभुलाल, कलाश व विकास 80 फीट रोड पर 50–50 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी।

इसके अलावा नगर विभिन्न क्षेत्रों में बिना मास्क वाले 34 व्यक्तियों पर 100–100 रूपये का स्पॉट फाईन पर मास्क अनिवार्य रूप से लगाने की समझाईश दी गई।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि शहर को गंदा करने वाले नागरिकों, दुकानदारों आदि की जानकारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह मो. नं. 7471144930, झोन प्रभारी श्री पर्वत हाड़े मो. नं. 7471144931, श्री किरण चौहान मो.नं. 7471144932, श्री विनय चौहान मो.नं. 8770535145, श्री विराट मेहरा 9770326691, स्पॉट फाईन दल के पवन झांझोट मो.नं. 7000128812, आकाश शिन्दे मो.नं. 9424075393, 7724981736 मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110, राकेश ललावत मो.नं. 7000128812 को देकर नगर को साफ–स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

16 दिसम्बर को 90 टन से अधिक कचरा जुलवानिया पंहुचा

रतलाम 16 दिसम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर–घर से पृथक–पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले–सूखे कचरे व सड़को व नाले–नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा ह जिसके तहत 16 दिसम्बर गुरूवार को 90 टन से अधिक कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

16 दिसम्बर गुरूवार को डम्पर से 32245, ट्रेक्टर से 21100, काम्पेक्टर सूखा कचरा 20005 व काम्पेक्टर गीला कचरा 17120 किलो इस तरह कुल 90470 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

6308 पेंशन हितग्राहियों का हुआ भौतिक सत्यापन

पेंशन पाने वाले हितग्राही अपना भौतिक सत्यापन करवायें

रतलाम 16 दिसम्बर । रतलाम शहर के सामाजिक सुरक्षा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन, राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन, सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, निःशक्त पेंशन, मानसिक बहुविकलांग पेंशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों का शासन निर्देशानुसार भौतिक सत्यापन किया जा रहा है जिसके तहत 16 दिसम्बर गुरूवार तक 6308 पेंशन हितगाहियों का भौतिक सत्यापन कर 63 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

नगर निगम द्वारा पेंशन पाने वाले हितग्राहियों से अपील की जाती है कि वे नगर निगम के आईटी सेल में आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अपना भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से करवायें।

2529 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए स्वरोजगार ऋण से 79 हितग्राही हुए लाभान्वित

पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 16 दिसम्बर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु 2399 हितग्राहियों को राशि रूपये 10,000/– तथा द्वितीय कार्यशील पूंजी हेत, 130 हितग्राहियों को राशि रूपये 20,000/– ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 76 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 3 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही

15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि होगी वसूल

रतलाम 16 दिसम्बर । शहर की मुख्य सड़के सैलाना रोड, सागोद रोड, महू रोड, स्टेशन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देशित किया है शहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 16 दिसम्बर । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों, दुकानदारो, व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 16 दिसम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारो व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक–पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक–पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 16 दिसम्बर । स्वच्छ सर्वेक्षण–2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर–1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डो की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले–नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले–नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समुचित साफ–सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ–सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार / ज.सं.वि. / हेमन्त / 16.12.2021 / न.पा.निगम, रतलाम.